



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 19.03.2026

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 02 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा थाना साइबर क्राइम पर तहरीर देकर सूचना दी गई कि दिनांक 13-03-2026 को अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा खुद को TRAI का अधिकारी बताकर, वादी की सिम/मोबाइल नं0 से अश्लील वीडियो भेजे जाने की जांच मुम्बई क्राइम ब्रांच/सीबीआई द्वारा किये जाने का भय दिखाकर जॉच के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी की गयी। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19-03-2026** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मुकदमा से संबंधित 02 अभियुक्त 1.रिषभ तिवारी पुत्र राकेश तिवारी 2.कुवंर शुक्ला पुत्र रामगोपाल शुक्ला को थाना सेक्टर-63 क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद किये गये है ।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जो साइबर ठगी करने वाले अभियुक्तों को अपने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे। अभियुक्तों के बैंक खातों में साइबर ठगी से सम्बन्धित 10.95 लाख रुपये प्राप्त किए गए हैं। अभियुक्तों के संयुक्त बैंक खाते के विरुद्ध देश के भिन्न-भिन्न राज्यों से 06 शिकायतें (उत्तर प्रदेश-01, महाराष्ट्र-01, तमिलनाडू-01, दिल्ली -01, बिहार-01 व जम्मू कश्मीर-01) दर्ज है जिनमें अब तक धोखाधड़ी से सम्बन्धित करीब 4 करोड़ 17 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त की गयी है ।

अभियुक्तों का विवरण--

1. रिषभ तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी जिला अमेठी उम्र 21 वर्ष ।
2. कुवंर शुक्ला पुत्र रामगोपाल शुक्ला निवासी जिला अमेठी उम्र 20 वर्ष ।

अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 28/2026 धारा 308(2), 318(4), 319(2) BNS व 66D IT ACT थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण-- घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन

साइबर जागरूकता संदेश--

1. साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन-1930 या वेबसाइट- National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करायें ।

2. "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी पुलिस, CBI, ED आपको कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकती है।
3. डिजिटल अरेस्ट- यदि आपके पास कोई व्यक्ति स्वयं को CBI अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ED का अधिकारी, नॉरकोटिक्स विभाग का अधिकारी, इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर कॉल कर डराता है व डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहता है तो बिना डरे तुरन्त इसकी शिकायत अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन य साइबर पुलिस स्टेशन में करें।
4. कोई व्यक्ति अश्लील वीडियो भेजने, अवैध मादक पदार्थ के विक्रय में हवाला जैसे कारोबार/ money laaundering/ smuggling/ fake import export में संलिप्त पाए जाने की बात कहकर डराता है तब आपको डरना या भयभीत नहीं होना है, इसकी तुरंत शिकायत अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन य साइबर पुलिस स्टेशन में करनी चाहियें।

2. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा दो-पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 19.03.2026 को थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रैकी कर दो-पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. विशाल तिवारी पुत्र गजेन्द्र तिवारी 2. फरीद पुत्र ताज मौहम्मद को सेक्टर-140 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल रजि0न0- DL5SCD2327, अभियुक्त विशाल तिवारी के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व अभियुक्त फरीद के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. विशाल तिवारी पुत्र गजेन्द्र तिवारी निवासी ग्राम सराए भारती रसड़ा, थाना पकवाईनार, बलिया वर्तमान पता ग्राम चिपयाना, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 25 वर्ष।
2. फरीद पुत्र ताज मौहम्मद निवासी ग्राम निलोनी, थाना रबुपुरा, गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता ग्राम चिपयाना, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 47/2026 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त विशाल तिवारी का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 01323/2021 धारा 379,411 भादवि, थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

2. मु0अ0सं0- 01342/2021 धारा 379,411 भादवि, थाना विजयनगर, गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0- 01344/2021 धारा 411,414,482 भादवि, थाना विजयनगर, गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0- 27561/2025 धारा 305(बी) बीएनएस, थाना जाफराबाद, दिल्ली।

अभियुक्त फरीद का आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 27561/2025 धारा 305(बी) बीएनएस, थाना जाफराबाद, दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL5SCD2327 संबंधित मु0अ0सं0- 27561/2025 थाना जाफराबाद, दिल्ली।
2. 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
3. 01 अवैध चाकू

3. थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹25,000/- का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 19.03.2026 को थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹25,000/- का इनामिया अभियुक्त नूर उर्फ सोनू उर्फ छोटू पुत्र इसराइल को चौगानपुर गोलचक्कर के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- नूर उर्फ सोनू उर्फ छोटू पुत्र इसराइल उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सातवीटा, थाना गवाल पोखर, उत्तरी दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) वर्तमान पता ग्राम हबीबपुर, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 435/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 479/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/331(4)/324(4) बीएनएस, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 508/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 521/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 009/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 017/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

4. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित गैंगलीडर सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 19.03.2026 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 098/2026 धारा 2(b)(1)/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्त 1. राहुल पुत्र राकेश (गैंगलीडर) 2-अर्जुन पुत्र भूरा को थाना क्षेत्र के सेक्टर चाई-3 से गिरफ्तार किया गया है ।

संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनका एक सक्रिय गैंग है। इस गैंग का गैंगलीडर 1- राहुल पुत्र राकेश व सदस्य 2-रोहित पुत्र गंगाराम 3-सुमित पुत्र परवीन 4-सचिन पुत्र अशोक 5-अर्जुन पुत्र भूरा है। इनके द्वारा रैकी करके दोपहिया वाहन चोरी करके मंहगे पार्ट्स निकालकर उसको बेचकर अवैध रूप से धन अर्जित किया जाता था। दिनांक 24.11.2025 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को चोरी की 16 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनके कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0 098/2026 धारा 2(b)(1)/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त मुकदमा में वांछित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है ।

अभियुक्तों का विवरण--

- 1- अर्जुन पुत्र भूरा निवासी ग्राम जट्टारी, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता चाई-3, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर ।
- 2- राहुल पुत्र राकेश निवासी घोडी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर ।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त राहुल--

- (1) मु0अ0सं0 677/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- (2) मु0अ0सं0 274/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- (3) मु0अ0सं0 587/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
- (4) मु0अ0सं0 536/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- (5) मु0अ0सं0 273/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- (6) मु0अ0सं0 538/25 धारा 317(4)/ 317(5)/ /317(2)/345(3) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- (7) मु0अ0सं0 308/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

- (8) मु0अ0सं0 186/23 धारा 414/482 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- (9) मु0अ0सं0 311/2023 धारा 379/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- (10) मु0अ0सं0 314/2023 धारा 414/482 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- (11) मु0अ0सं0 433/2023 धारा 392/411/482 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- (11) मु0अ0सं0 431/2023 धारा 356/379 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- (12) मु0अ0सं0 437/2024 धारा 60/63 आवकारी एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- (13) मु0अ0सं0 863/2017 धारा 379/411 थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- (14) मु0अ0सं0 499/2019 धारा 379/411 थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- (15) मु0अ0सं0 501/2019 धारा 379/411 थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- (16) मु0अ0सं0 098/2026 धारा 2(b)(1)/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त अर्जुन--

- (1) मु0अ0सं0 677/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- (2) मु0अ0सं0 274/2025 धारा 303(2)317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- (3) मु0अ0सं0 587/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
- (4) मु0अ0सं0 536/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- (5) मु0अ0सं0 538/25 धारा 317(4)/ 317(5)/ /317(2)/345(3) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- (6) मु0अ0सं0 098/2026 धारा 2(b)(1)/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।